



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-45/2021
दिनांक : 04.03.2021

परिपत्र

विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 003/2003/का.आ./02-41/2021 दिनांक 02.03.2021 (संलग्न) के माध्यम से महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए जिन विद्यार्थियों/शोधार्थियों ने छात्रावास में आने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं की है वे अगली सूचना तक अपनी यात्रा प्रारंभ न करें ऐसा सूचित किया गया है।

सक्षम अधिकारी के संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यार्थी वर्धा मुख्यालय में आने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे या करने वाले हैं। वर्धा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों/शोधार्थियों को पुनः निर्देशित किया जाता है अगली सूचना तक वर्धा मुख्यालय में न आये।

इसके उपरान्त भी जो विद्यार्थी/शोधार्थी अगली सूचना के पहले वर्धा आते हैं, तो उन्हें कोविड-19 रोकथाम प्रोटोकाल के उल्लंघन का दोषी माना जायेगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
04/03/21

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. कुलानुशासक कार्यालय
4. समस्त छात्रावास अधीक्षक
5. वित्त विभाग
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली